vk/kkfxd if'k{k.k lLFkku] Ukjij] ftyk dkxMk fgekpy in'k d fuf/k y[kk dk vd{k.k ,o fujh{k.k ifronuA

vd{k.k vof/k 4@05 l 3@10

1 xr vd{k.k ifronu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित विभिन्न पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :–

vd{k.k ifronu vof/k 4@01 l 3@03 rd

1	पैरा 5(क)	निर्णीत	(कार्यालय पत्र संख्या (आर0ए0एस0के0एस0सी)06 –153, दिनांक 22.11.06, द्वारा।
2	पैरा 6	निर्णीत	(कार्यालय पत्र संख्या (आर0ए0एस0के0एस0सी)06 –153, दिनांक 22.11.06, द्वारा।

vd{k.k ifronu vof/k 4@03 l 3@05 rd

1	पैरा 3	निर्णीत	(कार्यालय पत्र संख्या (आर0ए0एस0के0एस0सी)06 –153, दिनांक 22.11.06, द्वारा।
2	पैरा 4(क)	निर्णीत	–
3	पैरा 4(ख)	निर्णीत	–
4	पैरा 5	निर्णीत	(कार्यालय पत्र संख्या (आर0ए0एस0के0एस0सी)06 –153, दिनांक 22.11.06, द्वारा।
5	पैरा 6	निर्णीत	(कार्यालय पत्र संख्या (आर0ए0एस0के0एस0सी)06 –153, दिनांक 22.11.06, द्वारा।

2 oreku vd{k.k %&

औधोगिक प्रषिक्षण संस्थान के निधि लेखों का अवधि 04/05 से 03/10 तक का वर्तमान अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री राजवीर सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 01.11.10 एवं 10.11.10 के दौरान संस्थान के कार्यालय में सम्पन किया गया। विस्तृत जाँच हेतु निम्न विवरणानुसार महीनों का चयन किया गया :–

Ø0 l0	o"kZ	p;fur ekl ¼vk;½	p;fur ekl ¼O;;½
1	2005–2006	01/2006	09/2005
2	2006–2007	10/2006	10/2006
3	2007–2008	01/2008	01/2008
4	2008–2009	07/2008	08/2008
5	2009–2010	11/2009	09/2009

अंकेक्षण अवधि के दौरान औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान में निम्न विवरणानुसार प्रधाचार्यों ने आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया।

Øe la[;k	i/kkukpk;Z dk uke	vof/k
1	ई0 भागवन्त सिंह	01.04.05 से 15.02.06
2	श्री जे0एस0 कटवाल	16.02.06 से 03.05.06
3	ई0 संजीव सहोत्रा	04.05.06 से लगातार

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना जो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं करवाई गई है की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल अंकेक्षण हेतु चयनित किए गए महीनों तक ही सीमित है।

3 vads{k.k 'kqYd %&

संस्थान के निधि लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹4,200.00 आंका गया, जिसे राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु, संस्थान के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः आर0वी0एस0 (ऑडिट) 2010/33, दिनांक 08.11.2010 द्वारा अनुरोध किया गया। उक्त राशि को यथाषीघ्र निदेषक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009 के नाम पर बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाना सुनिष्चित किया जाए।

4 foÙkh; fLFkfr %&

संस्था द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार संस्थान के निधि लेखाओं अवधि 4/05 से 3/10 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट–क पर दिया गया है।

5 fuos'k %&

औधोगिक प्रषिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार दिनांक 31.03.10 को निवेष की स्थिति निम्न प्रकार से रही :–

Ø0l0	fnukad	,Q0Mh0vkj0 l[;k	fuosf'kr jkf'k	nj	vof/k	ifjiDork fnukad
1	09.04.05	505630 K.C.C Bank	3,30,000.00	8%	12 माह	09.04.10
2	29.09.09	465953 K.C.C Bank	1,70,000.00	6.50%	12 माह	29.09.10
3	02.01.10	505196 K.C.C Bank	5,99,720.00	6.25%	12 माह	02.01.11
		dqy ;ksx	₹10]99]720-00			

उक्त निवेषित राशियों को परिपक्वता की दिनांक पर खातों में डालकर पुनः निवेषित किया जाना सुनिष्चित किया जाए ताकि सावधि जमा के रूप मे अधिक ब्याज अर्जित किया जा सके।

6 tqekZuk fuf/k dh :i esa de olwyh xbZ jkf'k ₹70-00 dk vads{k.k ds nkSjku tek djokus ckjs %&

अभिलेख की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि माह जुलाई, 2009 में पलम्बर ट्रेड के छात्रों से ₹790.00 की वसूली जुर्माना निधि के रूप मे की जानी अपेक्षित थी, परन्तु सम्बन्धित प्रभारी द्वारा ₹720.00 की ही वसूली छात्रों से की गई थी। इस तरह ₹70.00 (790–790=70) की कम वसूली की गई थी, जिसकी भरपाई अंकेक्षण के दौरान रसीद संख्या 1021, दिनांक 08.11.10 के द्वारा कर

ली गई है एवं जमा की गई राशि की पुष्टि कर ली गई है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति न की जाए।

7 Nk= dY;k.k fuf/k ¼lo&'kh"kZ½ ls vfu;fer O;; %&

वाऊचर संख्या 27/1, दिनांक 16.08.07 की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि पुस्तकालय प्रयोग हेतु ₹1,000.00 की पुस्तकें मैं0 स्काई इन्टर नेषनल, पटियाला से बिल संख्या 4713, दिनांक 16.08.07 द्वारा खरीदी गई, जिसका भुगतान पुस्तकालय निधि से न करके छात्र कल्याण निधि (सब–षीर्ष) से किया गया था, जोकि उक्त निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः पुस्तकालय निधि में से ₹1,000.00 का अन्तरण करके छात्र कल्याण निधि (सब–षीर्ष) में जमा किया जाना सुनिष्चित किया जाए तथा किए गए भुगतान को नियमित किया जाए।

8 vkS/kksfxd izf'k{k.k laLFkku /keZVk] rglhy Qrsgiqj] ftyk dkaxM+k dks jkf'k ₹50]000 nsus ckjs %&

वाऊचर संख्या 17, दिनांक 03.03.09 की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान नूरपुर द्वारा निदेषालय के पत्र संख्या STB(IT)H-B(2)5/2008, IT&ESM-5231, दिनांक 19.02.09 की अनुपालना में औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, धमेटा को ₹50,000.00 वेतन एवं अन्य खर्चों के निष्पादन हेतु छात्र कल्याण निधि में से दिए गए। यह राशि औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान नूरपुर के छात्रों के कल्याणार्थ थी। अतः यह परामर्ष दिया जाता है कि उक्त राशि को वापिस प्राप्त करने हेतु उक्त संस्था/निदेषालय से मामला उठाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 jsV dkWUVªsDV dh izfr miyC/k u djokus ckjs %&

वाऊचर संख्या 17/1, दिनांक 25.03.09 की जाँच उपरान्त पाया गया कि मै0 डोगरा हौजरी बिलासपुर से ₹15,116.00 मूल्य के बीस ट्रैक सूट एवं बीस स्पोर्टस किट की खरीद बिल नम्बर 665, दिनांक 10.03.09 द्वारा की गई थी। अभिलेखानुसार यह खरीद रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की गई दर्षाई गई थी, परन्तु अंकेक्षण के दौरान रेट कॉन्ट्रैक्ट की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में राशि ₹15,116.00 के भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित रेट अनुबन्ध की प्रति उपलब्ध करवाई जानी सुनिष्चित की जाए ताकि किए गए भुगतान की सत्यता की जाँच की जा सकें।

10 <u>LVkd dk iR;{k lR;kiu u fd;k tkuk</u> %&

जाँच उपरान्त यह पाया गया कि संस्थान के स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना नहीं की गई थी, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अर्न्तगत स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। अतः नियमानुसार स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापना कर भविष्य मे वार्षिक सत्यापना सुनिष्चित की जाए।

8 <u>y?k vkifr foojf.kdk</u> %& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

9 <u>fu"d"kZ</u> %& लेखाओं के रख–रखाव में सुधार की आवष्यकता है।

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)सी(15)(11)(2)466/2000, दिनांक षिमला171009.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

i:thd`r %&1. प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नूरपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भिजवायें।

2. निदेषक तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश)।
3. आयुक्त एवं सचिव, तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार षिमला–171002.
4. श्री राजवीर सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा...।

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

¼vuq dekj½